राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1955,1956, 1957, 1958 व 1959 / 2014.....जिला--जयपुर.....
उनवान--मै. गोदरेज एण्ड बॉयस मैन्यूफैक्चरिंग, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचंन, जोन--द्वितीय, जयपुर व अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर,जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.11.2014	**खण्डपीठ** **श्री राकेश श्रीवास्तव,अध्यक्ष** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य**	

अपीलार्थी के ओर से श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक व एवं विभाग की ओर से उप--राजकीय अभिभाषक श्री राम करण सिंह उपस्थित।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ये पांच चार अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी--द्वितीय,वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक--पृथक स्थगन आदेश दिनांक 07.11.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। उक्त आदेशों में अपीलीय अधिकारी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचंन, संभाग--द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) द्वारा पारित पृथक--पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.09.2014, जो अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 55 के तहत् निर्धारण वर्ष 2099--10, 2010--11, 2011--12, 2012--13 एवं 2013--14 के लिये पारित किये गये हैं, में कायम मांग राशि के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत रोक आवदेन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान निम्न तालिका में अंकित राशियों पर रोक लगाये जाने की प्रार्थना की गई :--

अ. सं.	अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगित की गई राशि	स्थगन हेतु आवेदित राशि
1955 / 14	1,17,57,742 / --	87,34,323 / --	30,23,419 / --
1956 / 14	46,24,363 / --	33,93,243 / --	12,31,119 / --
1957 / 14	63,57,124 / --	46,02,090 / --	17,55,034 / --
1958 / 14	22,55,029 / --	16,08,683 / --	6,46,346 / --
1959 / 14	32,92,901 / --	23,14,815 / --	9,78,086 / --

स्थगन प्रार्थना पत्रों के समर्थन में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जिन संव्यवहारों पर करारोपण किया गया है, उन संव्यवहारों पर नियमित कर निर्धारण अधिकारी (वाणिज्यिक कर अधिकारी,विशेष वृत) द्वारा ई.सी. जारी की हुई थी तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ई.सी.निरस्त किये बिना उन्हीं संव्यसवहारों

पर अतिरिक्त करारोपण नहीं किया जा सकता है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किन शर्तों के आधार पर विवादित संव्यवहारों को बिक्री माना गया है, का विवेचन अपने कर निर्धारण आदेश में नहीं किया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन व्यवहारी के पक्ष में होने से स्थगन हेतु आवेदित राशि की वसूली को स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा कतिपय कार्य आदेशों की पालना में इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणों यथा सीसीटीवी कैमरा, फायरफाईटिंग इक्यूपमेंट्स, बूम बैरियर आदि की सप्लाई, प्रतिस्थापन एवं फिटिंग का कार्य किया गया है,जो वर्क्स कान्ट्रेक्ट नहीं होकर कान्ट्रेक्स टू सेल है,इसलिए सुविधा सन्तुलन के व्यवहारी के पक्ष में नहीं होने स्थगन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्थग न प्रदान किया जा चुका है । उक्त के आधार पर उन्होंने स्थगन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्षीय की बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत किये प्रार्थना पत्र में स्थगन हेतु आवेदित राशियों को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई ठोस कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.10.2014 में अंकित नहीं किया गया है । लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना स्थगन हेतु आवेदित राशि की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थगन हेतु आवेदित राशियों की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष